राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/एल.ए./2017/ 98 दिनांक : 16-2-17

बैठक कार्यवाही विवरणः–

दिनांक 03.02.2017 को प्रातः 11.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं पदेन अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी श्रीमान कालीचरण सर्राफ महोदय की अध्यक्षता में RHSDP हॉल स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा माननीय मंत्री एवं अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड सहित बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के एजेण्डा आइटम का सक्षिप्त ब्यारो प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आईटम पर चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 03.10.2016 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने माननीय मंत्री महोदय व सदस्यों को अवगत कराया की राज्य में वर्ष 2016 में अधिक से अधिक निरीक्षण किये जाकर केन्द्रों के कुल 2468 निरीक्षण किये गये है जो वर्ष 2015 की तुलना में 1.5 गुना है एवं वर्ष 2017 में भी इसी प्रकार केन्द्रों को निरीक्षण किये जायेगें।

3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की पालना एवं क्रियान्विती के लिये किये जा रहे कार्यों कि जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अधिनियमानुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति का गठन पूर्ण है एंव बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही है।

4. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुये बताया की राज्य में अब तक कुल 57 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके है, जिनमें से वर्ष 2016 में 26 डिकॉय एवं पिछली बैठक से अब तक 14 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके है। डिकॉय ऑपरेशन कार्यवाही की सराहना करते हुए माननीय मंत्री महोदय एवं सदस्यों द्वारा प्रत्येक डिकॉय ऑपरेशन के लिए डिकॉय टीम के प्रत्येक सदस्य को डिकॉय ऑपरेशन के दौरान 500/– रूपये प्रति–दिन के हिसाब से (प्रत्येक डिकॉय कार्यवाही के लिये अधिकतम सात सदस्यों को अधिकतम चार दिनों तक के लिये) प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु 2,00000/– (अक्षरें दो लाख रूपये) राशि का एक एस0एस0बी डिकॉय फण्ड बनाये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त एस0एस0बी डिकॉय फण्ड हेतु 2,00000/– (अक्षरें दो लाख रूपये) राशि की प्रारम्भिक व्यवस्था जिला जयपुर प्रथम एवं द्वितीय के यहां पीसीपीएनडीटी नियम 5 में प्राप्त

जमा पंजीकरण राशि में से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस विशेष फण्ड में 50,000/– रूपये ही शेष रह जाने की स्थिति में अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी को अन्य जिलों के यहां जमा पंजीकरण राशि से उक्त फण्ड में राशि प्राप्त की जा सकने का अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया गया। डिकॉय कार्यवाही दल में जिलों से सम्मिलित सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित जिलों पर पीसीपीएनडीटी नियम 5 में प्राप्त जमा पंजीकरण राशि में से किया जायेगा।

5. माननीय मंत्री महोदय ने मुखबिर योजना एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु पीसीपीएनडीटी द्वारा अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी को निर्देशन में किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन को सराहते हुए मुखबिर योजना में स्वीकृत प्रोत्साहन राशि 2,000,00/– लाख से बढाकर 2,50,000/– रूपये किये जाने एवं पूर्वानुसार 2:2:1 के अनुपात में बांटे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। 50,000 रूपये की बढी हुई राशि पीसीपीएनडीटी नियम 5 में प्राप्त जमा पंजीकरण राशि में से किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुखबिर योजना को जन मानस तक पहुचाने एवं जागरूता लाने को लिए प्रत्येक अटल सेवा केन्द्रों पर इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर व अन्य सामग्री लगाये जाने के निर्देश दिये। निर्णय की पालना श्री अमित गर्ग प्रोग्राम अधिकारी (आईईसी) द्वारा की जायेगी।

7. सदस्य श्री कान सिंह राठौड़ के सुझाव पर मुखबिर योजना का प्रचार प्रसार ग्राम बेठकों, नगर पालिका आदि में किये जाने एवं सदस्य श्रीमती नीता पाटनी के सुझाव पर सभी पंजीकृत केन्द्रों पर टोल फ्री नम्बर 104/108 एवं मुखबीर योजना के विज्ञापन लगाये जाने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया। परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) निर्णय की पालना सुनिश्चित करवायेंगे।

8. माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदस्यों की सम्मति से यह निर्णय लिया गया की जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पंजीकृत सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों के साथ त्रैमासिक रूप से बैठक आयोजित करे जिसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाए। निर्णय की पालना जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

9. श्रीमान राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि जोधपुर जिले को पीसीपीएंनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जोधपुर प्रथम जिसमें जोधपुर शहर रहेगा तथा जोधपुर द्वितीय जिसमें जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र रहेगा में विभाजित कर जोधपुर द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक बाडमेर को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

10. माननीय मंत्री महोदय द्वारा अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) को महिला आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी प्रसारित करवाने के लिए भी महिला आयोग का सहयोग लिए जाने के निर्देश दिये गये।

11. माननीय मंत्री महोदय द्वारा अन्तर्जिला निरीक्षणों हेतु अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों का गठन कर अन्तर्जिला निरीक्षण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये। परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) निर्णय की पालना सुनिश्चित करवायेंगे।

12. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय के सुझाव पर सोनोग्राफी केन्दों की सीलशुदा सोनोग्राफी मशीनों को जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने के लिए वहां स्टोर चिन्हित किये जाने हेतु जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी को निर्देशित किये जाने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।

- बैठक लगभग दो घण्टे तक चली ।
- आगामी बैठक जून के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया ।

(नवीन जैन)
शासन सचिव (प0क0)
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बौर्ड, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। (EMAIL :- SAHEALTHMINISTER@GMAIL.COM)
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा), बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045
5. श्रीमति संजना आगरी,(माननीय विधायक, सोजत, पाली), 2/4 विधायक नगर (पश्चिन) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165।
6. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। (EMAIL :- PH-SJE@RAJASTHAN.GOV.IN)
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। (EMAIL :- SECRETARYLAW.RAJASTHAN@REDIFFMAIL.COM)
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226। (E-MAIL:-NEETAPATNI@GMAIL.COM)
14. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
15. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 (EMAIL :- SEEMADAYA3@GMAIL.COM)
16. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिंक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 (E-MAIL:- MANJUSHARMABJP@GMAIL.COM)

17. डॉ0 सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4—YA-20 जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 (E-MAIL:- DRSUMANMITTAL@GMAIL.COM)
18. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 (EMAIL :- DRMRIDULGEHLOT@YAHOO.COM)
19. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119—केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9829216070 (EMAIL :- DRTARUNPATNI@HOTMAIL.COM)
20. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी—60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
21. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28—95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 (EMAIL :- DRSKJAIN007@GMAIL.COM)
22. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 (E-MAIL:-GOPALBHATLGB@GMAIL.COM)
23. डॉ0 आर.के. गुप्ता, राजस्थान मेडिकल सेन्टर, रेडियोलॉजिस्ट, जोधपुर।
24. डॉ0 अनिता गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी—201 उन्नति रेजिडेन्सी सेक्टर—1 विद्याधर नगर जयपुर।
25. डॉ0 रिमी शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मरूधर हॉस्पिटल खातीपुरा, जयपुर।
26. श्री राकेश वर्मा, मीडिया सदस्य, 27 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।

B

1. श्री सोरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननयी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली।
2. श्री जी0एस0 गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननयी उच्च न्यायालय जयपुर, राजस्थान।

C

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (आरसीएच), भारत सरकार कमरा नम्बर 145—ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सहायक, निदेशक, पीएनडीटी (MOHFW) कमरा नम्बर 203—डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110001।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री लोकेश कुमार तिवाडी, संयुक्त विधि (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर, सहायक स्टेट कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड, राज्य मुख्यालय, मोबाईल नं. 9414581756 (EMAIL :- MEENA.ASOPA123@GMAIL.COM)
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर राजस्थान।
7. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।

D

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

E

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. सहायक निदेशक (IEC) निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 आईईसी, जयपुर, राजस्थान।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।
5. जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पीसीपीएनडीटी), चूरू, को उक्त बैठक में उपस्थित होने बाबत्।
6. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को उक्त बैठक में उपस्थित होने बाबत्।
7. स्टोर कीपर (एनएचएम) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस को बैठक हेतु आरएचएसडीपी हॉल बुक करने एवं जलपान तथा लेख सामग्री (फोल्डर, नोटबुक एवं पैन) की व्यवस्था करें।
8. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
9. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
10. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं उप निदेशक (आरसीएच) एवं
प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।